मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

पत्रांक GMA/160/18 | दिनांक 14/7/18

सेवा में,

निदेशक,
(शोध एवं प्रशिक्षण)
प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग,
नया सचिवालय, पटना – 800001

विषयः दो वर्षीय बी.एड पाठ्यक्रम का संबंधन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा) के क्षेत्रीय निदेशक के पत्रांक ERC/247.6.32/B.Ed/Addl. Intake)/2017/55676 Appl. Code ERCAPP 201645060 दिनांक 11-01-18 के द्वारा स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिषद की दिनांक 05.06.2017 को आहुत बैठक के मद संख्या 04 पर पारित प्रस्ताव के आलोक में डी० पी० आर० पी० बी० एड कॉलेज [illegible], औरंगाबाद (अधिषद के निर्णय के आलोक में) में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2018-19 से 50 सीटों के साथ नामांकन की स्वीकृति एन.सी.टी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जाती है

1. प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सम्मुख लिये गये शपथ–पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शपथ पूर्वक उल्लेख होगा कि एन.सी.टी.ई/राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश/बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है।
2. एन.सी.टी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी आधार संख्या एवं पैन संख्या अभिलेखित की जा चुकी है।
3. महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रदान करेगा।

अधिषद के द्वारा संबंधन की स्वीकृति औपबंधिक होगी एवं उक्त संबंधन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के आधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रबंधकीय गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रहेगी, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा। उपर्युक्त जाँच के परिणामों से एन.सी.टी.ई., राज्य सरकार एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी सूचित किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि अधिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर इसकी सूचना देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–1. अधिषद की बैठक का कार्यवृत।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन की मूलप्रति।
3. संबंधन की शर्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

ज्ञापांक GMA/160/18 | *दिनांक* 14/7/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव/प्रधानाचार्य, डी० पी० आर० पी० बी० एड कॉलेज [illegible] औरंगाबाद.
2. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना 800001
5. प्रभारी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
6. विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा)।

for कुलसचिव 13.07.18
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
14/7/18

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

अधिसूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा) के क्षेत्रीय निदेशक के पत्रांक ERC/244-6-32/B.Ed/Addl. Intake/2017/55676 Appl Code - ERCAPP 201645060 ——x—— ——x—— दिनांक 11.01.018 के द्वारा स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिषद की दिनांक 25.06.2017 को आहूत बैठक के मद संख्या 04 पर पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित डी० पी० आर पी० बी० एड कॉलेज सिमगोपी औरंगाबाद —— में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2018-19 से 50 Addl सीटों के साथ नामाकन की औपबंधिक स्वीकृति अधिषद के नियमों के आलोक में एन.सी.टी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जाती हैं:

1. प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सम्मुख लिये गये शपथ–पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा उल्लेख होगा कि एन.सी.टी.ई/राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश/बन्धेजों (संलग्न : अनुलग्नक – I) का अनुपालन किया जा रहा है। इस संदर्भ में पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर अनुपालन करने की सुनिश्चितता को इंगित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा विश्वविद्यालय विधि–सम्मत कार्रवाई प्रवृत्त कर सकेगा।
2. एन.सी.टी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी आधार संख्या एवं पैन संख्या अभिलेखित की जा चुकी है।
3. महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रदान करेगा।

अधिषद् के द्वारा संबंधन की स्वीकृति औपबंधिक होगी एवं उक्त संबंधन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के आधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रबंधकीय गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रहेगी, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार
ह०/–
कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

ज्ञापांक GMA/166/18 *दिनांक* 14/7/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव/प्रधानाचार्य, डी० पी० आर पी० बी० एड कॉलेज सिमगोपी, औरंगाबाद
2. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना 800001
5. प्रभारी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
6. विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा)।

13.07.18
for **कुलसचिव**
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
13/7/18